संख्या-03/2024/लो.आ.-13/39-4-2024/003-15-116-2022 TC-1

संलग्नक सहित जारी 28-02-2024

प्रेषक,

आत्म प्रकाश पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सचिव,
लोक आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक आयुक्त संगठन के लिए कतिपय मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-392/लो0आ0-2024-41-2022, दिनांक 11.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-82 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-05-लोक आयुक्त संगठन-08-कार्यालय व्यय मानक मद में हो रही बचत से अनुदान संख्या-82 के लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-05-लोक आयुक्त संगठन-15-लोकायुक्त कार्यालय की गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 3.00 लाख एवं लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-05-लोक आयुक्त संगठन-49- चिकित्सा व्यय मद में रू0 12.00 लाख अर्थात कुल रू0 15.00 लाख का पुनर्विनियोग संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण किया जायेगा तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0 का होगा।

(3) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है, में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-2027/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 082 **लेखा शीर्षक** 2070001040500 लोक आयुक्त

संगठन **मानक मद** 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (भारित) (*2*) रुपये 12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 082 **लेखा शीर्षक** 2070001040500 लोक आयुक्त संगठन **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-RE-budget-1-483-E-12-520-X-2023-2024 दिनांक 21.02.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक:- यथोक्त।

Digitally Signed by आत्म प्रकाश पाण्डेय
Date: 28-02-2024 14:00:34
Reason: Approved

भवदीय,

(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या- 03/2024/लो.आ.-13/39-4-2024/003-15-116-2022 TC-1 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(4) वित्त(अय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) आदेश पुस्तिका।

संलग्नक:- यथोक्त।

(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।